

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-२) विभाग

सं. एफ. ७(८)डीओपी/ए-११/२००८

जयपुर, दिनांक: २५.८.०९

अधिसूचना

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, २००८(२००९ का अधिनियम सं. १२) की धारा १ की उप-धारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा २५, अगस्त २००९ उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—  
(खेमराज)  
शासन सचिव

२४/०९ (१)